[श्री राम किशन]

सकते थे, मिले लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। तो मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि और कुछ हो या न हो जब तक बाढ़ नियंत्रण योजना पूरी नहीं बनती है तब तक जो कामन ड्रेन है तीनों राज्यों में उसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और जो हमारे तीनों राज्यों की समस्या है जितना पानी लेने की या जितना पानी देने की उसे सुलझा दे तो इससे दो तीन बातें पैदा होंगी। इससे एक तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो जायगा और अगर यह भी संभव नहीं हो तो जो दोनों रेगुलेटर बने हुए हैं हरयाणा और उत्तर प्रदेश में उनको तोड़ दिया जाय, जितना पानी आयेगा उतना निकल जायगा। . . . (व्यवधान) . . . उत्तर प्रदेश वालों ने, नहीं तोड़ा, हरयाणा वालों ने तोड़ दिया है। दोनों टूट जायेंगे तो जितना पानी आयेगा निकल जायगा। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और एक मूक दर्शक जैसे बैठे नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार के सवाल दूसरे हेडवर्क्स के भी खड़े हो रहे हैं, उनकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाऊंगा और बागड़ी जी से कहूंगा कि इसमें वह मेरी सहायता करें नहीं तो मैं तो डूबूंगा ही, वह भी अगले चुनाव में डूब जायेंगे।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I want to make a humble submission. I have given notice about the trade union leader, Shri Bansidhar Azad's fasting in Ujjain.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bosu, it is not fair. If the matter has not been allowed by the Speaker, you cannot raise it like this.

Mr. Bagri.

(iii) REPORTED DEATH OF CASUAL LABOURERS IN BHATINDA WHILE DIGGING SEWER LINE

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय सदस्य खड़े हैं, मैं कैसे बोलूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आपको बुलाते हैं और आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है तो आपको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो हम दूसरे को बुला लेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के कितने ही मजदूर जिनका कोई वारिस इस देश में नहीं, डा० लोहिया के शब्दों में अभागे मजदूर, ऐसे दुःखी मजदूर जिनका इस देश में कोई संगठन नहीं, राजनीतिक पार्टियों से जिनका दूर का वास्ता नहीं, इस प्रकार के रोजाना के मजदूर, भटिण्डा के अन्दर 23 फरवरी को सीवर खोदते हुए मध्य प्रदेश से गये हुए 8 मजदूर दबकर मर गये। उन मजदूरों को न कोई यूनियन है, न कोई संगठन है, न उनके लिए कोई कायदा है न कोई कानून है, कोई भी नहीं है जोकि उनका संरक्षण कर सके और उनके लिए आवाज उठा सके। मैं बधाई देता हूं जनता पार्टी के शासन को और इस माननीय सदन को कि आखिर में वही उन बदनसीब, दीनदुःखी मरने वाले लोगों का संरक्षक बना। और कुछ अधिक तो न हो सका लेकिन कम से कम इस सदन में उनकी आवाज उठाई जा सकी। केवल यही एक वाकया नहीं है, रोज ही इस प्रकार के वाकये होते हैं। आज के ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि पूना में पिंपरी जो है जहां पर सरकारी इंजीनियरिंग कारखाना बन रहा है वहां पर मकान कोलैप्स होने से 8 मजदूर दब कर मर गये। इस तरह से यह रोज का किस्सा है, कितने ही लावारिस मजदूर मारे जाते हैं। ऐसे मजदूरों के लिए न तो कोई राजनीतिक

संगठन है और न कोई राजनीतिक संरक्षण है और न ही कोई सरकार का संरक्षण है। वोट तो उनके पास भी है और दुःख का इलाज वोट है, ऐसा हमारा संविधान कहता है लेकिन वोट के रहते हुए भी इस देश में जो रोज के मजदूर हैं, जो नित्य के लिए मजदूर है उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है। इसका एक कारण यह है कि उनका अपना कोई संगठन नहीं है। पिछले तीस साल की सरकार का कोढ़ इन रोजाना के मजदूरों के शरीरों को जोंक की तरह से खाता रहा। दिखावें के लिए एक छोटा सा कानून भी बनाया गया लेकिन इस तरह के रोजाना के मजदूर जो एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाते हैं वें एक किस्म के बंधुवा मजदूर हैं। ऐसे मजदूरों के बारे में आपने नियम 377 के अन्तर्गत मुझे यहां पर आवाज उठाने की इजाजत दी, मैं चाहता तो यह था कि कालिंग अटेंशन के तौर पर इसे यहां पर उठाने की आप इजाजत देते ताकि मन्त्री इसका यहां पर जवाब देते। आज यहां पर उन बेचारे बेसहारा मजदूरों के बारे में कोई मन्त्री जवाब नहीं देगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम इस सदन में जो आवाज उठी है वह पंजाब सरकार, भटिण्डा कार्पोरेशन में भी, ऐसे ठेकेदार की अपने स्वार्थ के लिए इंसानी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं. उनके खिलाफ़ आवाज उठनी चाहिए—इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो यह है कि जिनका कोई सहारा नहीं, जो दीन और दुःखी हैं उनकी आवाज किस प्रकार में उठे। मैं चाहूंगा कि ऐसी मौतों के वास्ते एक कमेटी मुकर्रर की जाये जो कि, एक साल में किस तरह में कितने मजदूर मरे, इसके आंकड़े पेश करे और इसके लिए कोई इलाज बतावे। मैं इस प्रकार में सैकड़ों मरने वाले मजदूरों को नमस्तक नमस्कार करने के और कुछ नहीं कर सकता। में आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब यह सदन इतना सजग हो जायेगा कि यदि इस तरह से किसी भी लावारिस मजदूर की मौत होगी तो देश में भूचाल सा आ जायेगा और इस प्रकार की मौतों को रोकने का कोई प्रबन्ध कर सकेगा। केवल इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

(iv) REPORTED FAMINE CONDITIONS IN DARBHANGA AND MADHUBANI DISTRICTS OF BIHAR

श्री हुक्म देव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, 28 जुलाई, 1977 को मैंने इस सवाल को इस सदन में उठाया था। मेरा प्रश्न यह था कि उत्तर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले बराबर बाढ़ और अकाल से पीड़ित रहते हैं। इस साल बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन सुखाड़ के कारण वहां अतिभयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मधुबनी जिले के 21 प्रखण्डों में से लगभग 18 प्रखण्डों की हालत इतनी विचित्र है कि पोखरों में पानी नहीं है, ताकि जानवर पानी पी सकें। जब अभी से यह हालत है तो गर्मी के मौसम में तो किसी भी पोखर या तालाब में पानी नहीं रहेगा, कुंए सूख जायेंगे, आदमियों को पानी नहीं मिलेगा, जानवरों को पानी नहीं मिलेगा और लोगों को गांव छोड़ कर भागना पड़ेगा या बिना पानी मरना पड़ेगा।

हालत इतनी ही खराब नहीं है, वहां पर धान फसल, जो कि उस क्षेत्र की मुख्य खेती है, बिल्कुल मारी गई है। पिछले नवम्बर में थोड़ा सा पानी हथिया में पड़ गया था, लोगों ने गहूं की खेती की थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दिसम्बर के अन्त में और जनवरी के प्रारम्भ में इतना ज्यादा पानी वहां पर बरस गया, कि जितनी भी गेहूं की खेती वहां पर लगी हुई थी सब मारी गई और इतना पानी लग गया है कि अब फिर गेहूं की खेती नहीं हो सकेगी। खरीफ़ की फसल मारी गई, रबी की फसल की सम्भावना नहीं है, भदोही की फसल इसलिये नहीं हुई कि पानी नहीं था।

उस समय मैंने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि वहां पर एक दल भेजा जाय, जो इस बात की जांच करे। भारत सरकार